अशासकीय पत्र संख्या–1/शा0/114/2018–1/119/2018
लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2019

9वां आवंटन
अनुदान संख्या–61 (आयोजनेत्तर)
लेखाशीर्षक–3604001960301–28

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–4/2019/बी–2–136/दस–2019–2/2018 दिनांक 30 मार्च, 2019 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 में पंचायतीराज संस्थाओं हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रू0–4875.00 करोड़ में से जिला पंचायतों की धनराशि रू0 1950.00 करोड़ के सापेक्ष ए0टी0आर0 में उल्लिखित संस्तुति संख्या–55 के अनुसार आडिट अनुशासन की 5 प्रतिशत धनराशि **रू0 97,50,00,000/– (रूपये सत्तानबे करोड़ पचास लाख मात्र)** संलग्न सूची में इंगित विवरण के अनुसार वर्ष 2016–17 तक का ऑडिट कराने वाली जिला पंचायतों को दिये जाने की उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2019 में निहित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

1– जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम संख्या–3 में वर्ष 2016–17 तक ऑडिट कराने वाली जिला पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि के अनुसार **रू0 97,50,00,000/–(रूपये सत्तानबे करोड़ पचास लाख मात्र) कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई–पेमेन्ट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते** में जमा की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई–पेमेन्ट द्वारा सीधे जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई0एफ0एस0डी0 कोड जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

2– धनराशि के आहरण की सूचना वाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेगें।

3– आवंटित की जा रही धनराशि उपभोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

4–निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा धनराशि के उपभोग की समीक्षा नहीं की जाती है। पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा की जायेगी तथा वे इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें।

5– निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018–19 की अवधि में जिला पंचायतों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के

सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2018/बी–1–438/दस–2018–231/2018 दिनांक 20.04.2018 तथा वित्त(आय–व्यय) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–16/2018/बी–2–979/दस–2018–244/2018 दिनांक 01.09.2018 एवं इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0 जी0–1021/दस/2018– मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8– निर्माण एवं व्यय के दौरान सम्बन्धित वित्तीय नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

9–संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

10–वर्तमान में चुनाव आचार सहिंता प्रभावी है, व्यय के विषय में आदर्श चुनाव आचार सहिंता के प्राविधानों का पालन करते हुए संबंधित अधिकारी अक्षरसः पालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"**3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–196–जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–0301–सामान्य समनुदेशन–28–समनुदेशन**" के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–129 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

**(मासूम अली सरवर)**
**निदेशक,**
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/114/1/2018 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2–विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3–विशेष सचिव/वित्तीय सलाहकार, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 30.03.2019 के क्रम में।
4–मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5–निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6–निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
7–प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
8–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय( लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001
9–उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
10–उपनिदेशक (पं0)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
11–एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
12–संबंधित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवंटन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ब्रजेश कुमार)
**मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,**
पंचायती राज, उ0प्र0।